

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette
 सत्यमेव जयते

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 3]

दिल्ली, फरवरी 22— फरवरी 28, 2019, बृहस्पतिवार/फाल्गुन 3— फाल्गुन 9, 1940

No. 3]

DELHI, FEBRUARY 22— FEBRUARY 28, 2019, THURSDAY/ PHALGUNA 3 — PHALGUNA 9, 1940

भाग—II-II

PART-II-II

सर्किट, सिविल और दण्ड न्यायालय द्वारा जारी की गई सूचनाएं

Notices of the Circuit, Civil and Criminal Courts

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

फार्म सं० 48

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल,

नई दिल्ली, नई दिल्ली की बेंच के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 यथासंशोधित के मामले में

और

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 466 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 271 (क) और (ड) तथा धारा 272 तथा कंपनी (अदालत) नियम, 1959 के मामले में कंपनी याचिका सं०-03/271 और 272 /2018 का एनडी-2018

अहमदाबाद वड़ोदरा एक्सप्रेसवे कंपनी लिमिटेड

...याचिकाकर्ता

याचिका का विज्ञापन

एतद्वारा सूचना दी जाती है उपर्युक्त नाम की कंपनी के समापन के लिए नई दिल्ली में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा एक याचिका 11 दिसम्बर 2017 को कथित कंपनी द्वारा कथित ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत की गई थी और कथित याचिका की सुनवाई 25 मार्च 2019 को ट्रिब्यूनल के समक्ष करने का निर्देश दिया गया है।

कथित याचिका पर एक आदेश के समर्थन या विरोध के इच्छुक कोई क्रेडिटर, योगदानकर्ता या अन्य कोई व्यक्ति अपनी याचिका या अपने अधिवक्ता/अधिकृत प्रतिनिधि की सूचना इस आशय के साथ स्वयं या उनके अधिवक्ता/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर सहित उनके नाम और पते के साथ भेजें, ताकि यह याचिकाकर्ता या उनके अधिवक्ता/अधिकृत प्रतिनिधि के पास याचिका की सुनवाई के लिए नियत तिथि से कम से कम 5 दिन पहले पहुँच जाए और वे स्वयं या उनके अधिवक्ता/अधिकृत प्रतिनिधि इस

प्रयोजन हेतु सुनवाई के समय उपस्थित हों। याचिका की एक प्रति इसके लिए निर्दिष्ट प्रभारों के भुगतान पर किसी क्रेडिटर या योगदानकर्ता को अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रदान की जाएगी।

याचिका के विरोध में प्रयोग हेतु आशायित कोई भी शपथ पत्र ट्रिब्यूनल में दायर किया जाए और इसकी एक प्रति याचिकाकर्ता या उनके अधिवक्ता/अधिकृत प्रतिनिधि को सुनवाई के लिए नियत तिथि से कम से कम 5 दिन पहले प्रदान की जाए।

दिनांक: 29 जनवरी, 2013

वी० बी० राजू , उप पंजीयक
[विज्ञापन-ए/II/II/27/18]

Form No.48

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL,

NEW DELHI, BENCH AT NEW DELHI

IN THE MATTER OF

The Companies Act, 2013 as amended

AND

IN THE MATTER OF

Section 271 (a) & (e) and Section 272 of Companies Act, 2013 read with

Section 468 of Companies Act, 2013 and Company (Court) Rules, 1959

Company Petition No. 03/271&272/ND-2018 of 2018

Ahmedabad Vadodara Expressway Company Limited

...Petitioners

Advertisement of Petition

NOTICE is hereby given that a Petition for the winding –up of the above named company by the National Company Law Tribunal at New Delhi was on the 11th day of December, 2017 presented to the said Tribunal by the said company and that the said petition is directed to be heard before the Tribunal on the 25th day of March, 2019.

Any creditor, contributory, or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the petitioner or his advocate/Authorised Representative notice of his intention signed by him or his advocate/Authorised Representative with his name and address, so as to reach petitioner or his advocate/Authorised Representative not later than 5 days before the date fixed for the hearing of the petition and appear at the hearing for the purpose in person or by his advocate/Authorised Representative. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in Tribunal, and a copy served on the petitioner or his advocate/Authorised Representative, not less than 5 days before the date fixed for the hearing.

Date: 29 January, 2019

Sd./-

V.V.B.RAJU, Dty. Registrar

[ADVT. A/II/II/27/18]

घोषणा धारा 19 क्षेत्रीय दिवालिया धारा 1920

माननीय अदालत श्री विनोद कुमार गौतम, एससीजे-कम-एसीसी-कम-जी0जज (सैन्डल) कमरा नं0-12,

तीस हज़ारी कोर्ट, दिल्ली

वाद सं0-इनसोलवेसी (मिस) सं0-75 / 16 / 2012

रंजय जैन

बनाम

एम0एम0टी0सी0 लि0

यह सूचना दी जाती है कि वादी जिसका नाम कालम सं0-2 में वर्णित है उसने प्रतिवादियों के विरुद्ध, जिनका विवरण कालम 3 में है, एक आवेदन किया है कि उसे दिवालिया घोषित किया जाये और जो वाद जिसे स्वीकृत किया गया है, उसकी सुनवाई 11 मार्च 2019 समय 10 बजे को की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति जिसमें नीचे दिये गये नाम भी शामिल हैं, को आपत्ति है, तो वह माननीय अदालत में उपस्थित होकर ऐसा कर सकता है, व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा।

वाद सं0	पक्षों के नाम वादी	प्रतिवादी	सुनवाई तिथि
आईपी सं0 11/07 (मिस) 75/16/12	रंजय जैन पुत्र श्री पी0के0 जैन निवासी 21 सावन पार्क एक्सटेंशन, अशोक विहार, दिल्ली	एम0एम0टी0सी0 लि0 पंजीकृत ऑफिस कोर्ट सं0-1, स्कोप कॉम्प्लेक्स 7 इण्डस्ट्रियल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली	11 मार्च 2019

अदालत की मोहर व मेरे हस्ताक्षर से दिया गया दिनांक 29 जनवरी 2019

हस्ता./-
विनोद कुमार गौतम, इनसोलवेसी जज, सैन्डल/
[विज्ञापन-ए/II/II/28/18]

PROCLAMATION UNDER SECTION 19 OF THE PROVINCIAL INSOLVENCY ACT, 1920

IN THE COURT OF SHRI VINOD KUMAR GAUTAM, ASCJ-CUM-JSCC-CUM-G JUDGE

(CENTRAL) ROOM NO. 12 TIS HAZARI COURT, DELHI

SUIT NO. INSOLVENCY NO 11/07/MSIC. NO 75/16/2012

RANJAY JAIN VS. M.M.T.C.

Notice is hereby given that the petitioner mentioned in the column no. 2 has applied for adjudging himself against the respondents mentioned in column 3 as insolvent and the petition having being admitted will be heard on **11th day of March, 2019 at 10.00 o'clock**. Any person including the names given below wishes to oppose may appear before this Hon'ble Court either in person or through any pleader.

SUIT NO.	NAME OF THE PARTIES PETITIONER	RESPONDENTS	DATE OF HEARING
I.P. No. 11/07 (Misc.75/16/12)	Ranjay Jain S/o Sh. P.K. Jain, R/o 21, Sawan Park Extension, Ashok Vihar, Delhi.	M.M.T.C. Ltd Regd. Officer at court no. 1 Scope Complex, 7, Lodhi Industrial Area Lodhi Road, New Delhi.	11 TH March 2019

Given under my hand and the seal of the court on this 29/01/2019.

Sd./-

VINOD KUMAR GAUTAM, Insolvency Judge-Central/Delhi

[ADVT. A/II/II/28/18]